बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना |

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या- 3/विविध-03/2015- 102 पटना- 01, दिनांक- 09.10.18

सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना के पत्रांक- 627 दिनांक- 24.08.2018 के आलोक में TCS Skill Gap प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत T.C.S. कम्पनी द्वारा स्नातक योग्यताधारी (वर्ष 2015 से 2018 के बीच उत्तीर्ण) आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े आवेदकों हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है | उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा, पटना के परिसर में उपलब्ध खाली स्थान को निम्न शर्तों पर आवंटित किया जाता है:-

1. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन/ प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा स्वयं किया जाएगा |
2. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक बैच में अभ्यर्थियों की मानक संख्या लगभग 40-50 होगी, जिनकी प्रशिक्षण अवधि 100 से 120 घंटे की होगी |
3. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होगा, जिसमें अभ्यर्थियों/ प्रशिक्षणार्थियों के रहने एवं खाने की व्यवस्था T.C.S. कम्पनी के द्वारा की जाएगी |
4. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त चयनित आवेदकों को T.C.S. कम्पनी में जॉब उपलब्ध कराया जाएगा |
5. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा, पटना में उपलब्ध खाली स्थान को आवंटित कराने की व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी | जब भी संस्थान को उक्त स्थान की जरुरत होगी, एजेंसी को नोटिस देकर आवंटित स्थान खाली करा लिया जाएगा |
6. संबंधित एजेंसी / कम्पनी को इस बात का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की कोई राशि वसूल नहीं की जाएगी | संबंधित एजेंसी / संस्था द्वारा शपत्र पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्थल आवंटित की जाएगी |
7. यदि किसी भी समय उपरोक्त निर्धारित शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो तत्संबंधी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी | इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे |

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है |

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना |

ज्ञापांक- 3/विविध-03/2015- 1045 पटना- 01, दिनांक- 09.10.18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित |

2. उप निदेशक (नियोजन), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित |
3. सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित एजेंसी/ कम्पनी एवं प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा, पटना से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे |
4. प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित एजेंसी से उक्त आशय का शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित एजेंसी / कम्पनी को आवश्यक स्थान आवंटित करेंगे |
5. आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित |

09/10
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना |